व्यापार की योजना
आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि–वर्मी–कम्पोस्टिंग
द्वारा
स्वयं सहायता समूह पिपलाह

स्वयं सहायता समूह का नाम	::	स्वयं सहायता समूह पिपलाह
ग्रामीण वन विकास नीति VFDS का नाम	::	झंडुआ
वन परिक्षेत्र	::	थरोच
वन विभाग	::	चौपाल

के तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका के सुधार के लिए परियोजना

विषयसूची

क्र स	विवरण	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि	3
2.	SHG/CIG स्वयं सहायता समूहध्साझा हित समूह का निर्णय	3
3.	स्वयं सहायता समूह पिपलाह उपसमिति समूह के सदस्यों का ब्योरा	4
4.	गांव का भौगोलिक विवरण	5
5.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	5
6.	उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण	5.6
7.	उत्पादन योजना का विवरण	6
8.	उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण	7
9.	SWOT विश्लेषण	7.8
10	सदस्यों के बीच प्रबंधक का विवरण	8
11	लागत विश्लेषण	9.11
12.	आर्थिक विश्लेषण का सार	12
13.	निधि की आवश्यकता	12
14.	निधि के स्रोत	13
15.	बैंक ऋण चुकौती	13
16.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माणध्कौशल उन्नयन	14
17.	निगरानी तंत्र	14
18.	स्वयं सहायता समूह के नियम	14.15
19.	समूह के सदस्य फोटो	16
20	व्यवसाय योजना अनुमोदन	17
219	समूह का सहमति पत्र / प्रमाण पत्र व मंडल प्रबंधन इकाई की स्वीकृति	18

पृष्ठभूमि

मुख्य रूप से जैविक खेती की ओर बदलाव के कारण वर्मी कम्पोस्टिंग लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसके साथ जुडे पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य लाभ हैं। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वर्मिन कम्पोस्ट के प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है, विभिन्न खनिजों का संतुलित अनुपात और अच्छी उर्वरता और उत्तम गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन होता है। वर्मी कम्पोस्टिंग के स्थायी कृषि और बागवानी उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं।

कृमि खाद

वर्मी–कम्पोस्टिंग, जिसे कचरे से सोना कहा जाता है, जैविक खेती में बडा निवेश है। वर्मी– कम्पोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित करते हैं। केंचुए आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं, बायोमास पर भोजन करते हैं और इसे पचाने वाले में उत्सर्जित करते हैं। केंचुए जैविक अपशिष्ट पदार्थों पर भोजन करते हैं और वर्मीकास्ट से मल निकालते हैं जो नाइट्रेट और खनिजों जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इन वर्मीकास्ट का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है और वे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण वर्मी कम्पोस्ट काफी मांग में हैं।

सामग्री की आवश्यकता

1- पानी
2- गाय का गोबर
3- घास–फूस की छत
4- मिट्टी या रेत
5- केंचुआ
6- बारदान
7- जैविक बायोमास
8- प्लास्टिक या सीमेंटेड टैंक
9- सूखे भूसे और खेतों से एकत्रित पत्ते
10- खेतों और रसोई से एकत्र किया गया बायोडिग्रेडेबल कचरा

1- स्वयं सहायता समूह/साझा हित समूह का निर्णय

SHG/CIG स्वयं सहायता समूह का नाम	स्वयं सहायता समूह पिपलाह ।
VFDS जैव विविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	झंडुआ
वन तकनीकी इकाई	थरोच
मंडलीय प्रबंधन इकाई	चौपाल
गांव	पिपलाह
विकास खण्ड	शिमला
जिला	शिमला
समूह के सदस्यों की संख्या	7
समूह के गठन की तिथि	19/01/2023
समूह के मासिक बचत की दर	100/ महीना
बैंक तथा शाखा का नाम	ग्रामीण बैंक टिक्करी
बैंक खाता संख्या	IFSC code- PUNBOHPGB04 A/c No-9986130000 00302
समूह की कुल बचत	3200/-
समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-------
समूह के सदस्यों द्वारा वापस किए ऋण की स्थिति	-------

1. उपसमिति समूह के सदस्यों का ब्योरा

क्रस	लाभार्थी का नाम श्रीमती	पति का नाम श्री	पद	गांव	आयु	लिंग	श्रेणी	संपर्क
1	सुनीता	सोहन सिंह	प्रधान	पिपलाह	46	स्त्री	सामान्य	9805353416
2	अमन	लोकिन्दर	उप प्रधान	पिपलाह	34	स्त्री	सामान्य	7018920079
3	बबिता	बिशन कान्टा	सचिव	पिपलाह	38	स्त्री	सामान्य	8894608173
4	अनु शर्मा	राजाराम शर्मा	कोषाध्यक्ष	पिपलाह	34	स्त्री	सामान्य	8580503157
5	संतोषी	केवलराम कान्टा	सदस्य	पिपलाह	50	स्त्री	सामान्य	9418467806
6	उमा	राम प्रकाश	सदस्य	पिपलाह	42	स्त्री	सामान्य	7650052062
7	बरदा	गुलाब सिंह	सदस्य	पिपलाह	48	स्त्री	सामान्य	9816646042

2. गांव का भौगोलिक विवरण

क्रमांक	जिला मुख्यालय से दूरी	146 किलोमीटर
1	मुख्य सडक से दूरी	0 किलोमीटर
2	स्थानीय बाजार का नाम व दूरी	नेरवा 18 किलोमीटर
3	मुख्य बाजार से दूरी	20 किलोमीटर
4	अन्य मुख्य शहरों व कस्बों से दूरी	शिमला 146 किलोमीटर
5	बाजार जहां उत्पादों की बिक्री की जाएगी	शिमला, देहरादून, रोहरु, जुब्बल, नेरवा, ठियोग, चौपाल

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

उत्पाद का नाम	::	कृमि खाद
उत्पाद पहचान की विधि	::	वर्मीकम्पोस्ट की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में सेब होने के कारण, गतिविधि को शॉर्टलिस्ट किया गया और अंतिम रूप दिया गया।
SHG/CIG/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हां, गतिविधि समूह द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई थी।

5. उत्पादन प्रक्रिया □ । विवरण

चरण 1	खाद तैयार करने के लिए या तो प्लास्टिक या कंक्रीट टैंक/गड्ढे का उपयोग किया जा सकता है। टैंक/गड्ढे का आकार कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, हालांकि एक मानक के रूप में, आकार 10ftX4ftX2ft रखा जा रहा है।
चरण –2	बायोमास एकत्र करें और इसे लगभग 8–12 दिनों के लिए धूप में रखें। अब इसे कटर की मदद से मनचाहे आकार में काट लें।
चरण –3	गाय के गोबर का घोल तैयार करें और जल्दी सडने के लिए इसे ढेर पर छिडक दें।
चरण –4	टैंक/गड्ढे के तल पर सीमेंट कंक्रीट की एक परत (2 – 3 इंच) जोडें।
चरण –5	अब आंशिक रूप से विघटित गाय का गोबर, सूखे पत्ते और खेतों और रसोई से एकत्र किए गए अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे को मिलाकर बारीक क्यारी तैयार करें। उन्हें समान रूप से ठोस परत पर वितरित करें।
चरण –6	कटा हुआ जैव–अपशिष्ट और आंशिक रूप से विघटित गाय के गोबर दोनों को परत–वार टैंक/गड्ढे में 0.5–1.0 फीट की गहराई तक डालना जारी रखें।
चरण –7	सभी जैव–अपशिष्ट मिलाने के बाद, केंचुआ प्रजाति को मिश्रण के ऊपर छोड दें और खाद मिश्रण को सूखे पुआल या बोरियों से ढक दें।
चरण –8	खाद में नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी का छिडकाव करें।
चरण –9	चींटियों, छिपकलियों, चूहे, सांपों आदि के प्रवेश को रोकने के लिए टैंक/गड्ढे को छप्पर की छत से ढक दें और खाद को बारिश के पानी और सीधी धूप से बचाएं।

चरण –10	कंपोस्ट को ज्यादा गरम होने से बचाने के लिए बार–बार जाँच करें। उचित नमी और तापमान बनाए रखें।
चरण –11	वर्म कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कम्पोस्ट तैयार सामग्री को अलग करने के लिए कम्पोस्ट सामग्री को छानना। आंशिक रूप से सामग्री को फिर से वर्मी–कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण –12	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी कम्पोस्ट का भंडारण उचित स्थान पर करें.

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (वर्ष में तीन चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (सं)	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
6.4	अन्य सामग्री का स्रोत	::	मुक्त बाजार
6.5	कच्चा माल – आवश्यक मात्रा प्रति चक्र (किलो) प्रति सदस्य	::	1800 किलो प्रति चक्र
6.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलो) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलो प्रति चक्र

7. उत्पादन विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार स्थान	: :	HP वन विभाग
7.2	इकाई से दूरी	: :	स्थानिय बाजार
7.3	बाजार में उत्पाद की मांग	: :	अपने खेत पर प्रयोग
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	:	विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जानी है
7.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति	: :	HP वन विभाग अपनी नर्सरी के लिए भारी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट खरीद रहा है। सेब की पेटी होने के कारण इलाके में बाग के उपयोग की भारी मांग है।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग	: :	PMU हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ भ्ळ द्वारा उत्पादित वर्मी–कम्पोस्ट की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा।
7.7	उत्पाद ष्नाराष	:	SHG सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्प तलाशेंगे।

8. SWOT विश्लेषण

- शक्ति
- SHG के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में **2** से **4** तक के मवेशी हैं
- SHG सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य की फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
- उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद शेल्फ जीवन लंबा है
- **कमजोरी**
- निर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- तकनीकी जानकारी का अभाव

अवसर

- जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बढती मांग
- वर्मी कम्पोस्ट को अपने खेत में लगाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का उत्पादन होगा जिससे बेहतर कीमत मिलेगी।
- रसोई घर से बाहर रह गए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
- HP वन के साथ विपणन गठजोड की संभावना
- घमकी / जोखिम
- अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षणध्क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- उत्पादन – कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा
- गुणवत्ता आश्वासन – सामूहिक रूप से
- सफाई और पैकेजिंग – सामूहिक रूप से
- मार्केटिंग – सामूहिक रूप से
- इकाई की निगरानी – सामूहिक

10. लागत विश्लेषण

(राशि वास्तविक रु. में)

क्रमांक	विवरण	इकाइयों	मात्रा / संख्या।	लागत (Rs.)	साल 1	साल 2	साल 3	साल 4	साल 5
A.	पूंजी लागत								
A.1	वर्कशेड का निर्माण								
1	हार्डवियर आइटम, गड्ढे का निर्माण (आकार 10ftX4ftX2ft का होगा)	प्रति सदस्य	7	6000	42000	0	0	0	0
2	कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	7	4000	28000				
	उप–कुल (ए.1)				70000	0	0	0	0
A.2	उपकरण और औजार								
2	उपकरण, उपकरण आदि।	प्रति सदस्य	7	2000	14000	0	0	0	0
	उप–कुल (ए.2)				14000	0	0	0	0
	कुल पूंजीगत लागत (1.1 1.2)				84000	0	0	0	0
B	आवर्ती लागत								
3	बीज केंचुआ	प्रति किलो	7	500	3500	0	0	0	0
4	गाराछगोबरछअपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	42	800	33600	35280	37044	38896	40841
5	श्रम लागत	प्रति टन	21	700	14700	15435	16206	17016	17866
6	पैकिंग सामग्री	No-	182	40	7280	7644	8026	8427	8849
7	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	21	150	3150	3307	3472	3646	3828
C	अन्य शुल्क								

8	बीमा	L/S		0	0	0	0	0	0
9	ऋण पर ब्याज	प्रति वर्ष		0	0	0	0	0	0
	कुल आवर्ती लागत				62230	61666	64748	67985	71384
	कुल लागत = पूंजी लागत. आवर्ती लागत				146230	61666	64748	67985	71384
D	वर्मी कम्पोस्टिंग से आय								
12	वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री	टन	21	6400	134400	147840	162624	178886	196775
13	केंचुआ की बिक्री	इ□ाइयों				3500	7000	7000	7000
14	कुल मुनाफा				134400	151340	169624	185886	203775
15	शुद्ध रिटर्न (D-C)				-11830	89674	104876	117901	132391

टिप्पणी –

अपनी जमीन पर गतिविधि

सदस्यों द्वारा स्वयं किए जाने वाले सभी कार्य

कोई अतिरिक्त श्रम लागत नहीं, क्योंकि सभी सदस्य स्वयं कार्य करेंगे।

लागत/लाभ का सार

विवरण	साल 1	साल 2	साल 3	साल 4	साल 5
पूंजी लागत	84000	0	0	0	0
आवर्ती लागत	62230	61666	64748	67985	71384
कुल लागत	146230	61666	64748	67985	71384
कुल मुनाफा	134400	151340	169624	185886	203775
शुद्ध लाभ	-11830	89674	104876	117901	132391

1. आर्थिक विश्लेषण का सार

- आर्थिक विश्लेष.ा का सार
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3-6 प्रति किग्रा.
- वर्मी–कम्पोस्ट (रूढविादी पक्ष) की बिक्री रुपये में प्रस्तावित है। 6 प्रति किलो
- शुद्ध लाभ रुपये होने का अनुमान है। 6–3-6 = 2-4 प्रति किग्रा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष 3-3 टन वर्मी–कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 7 सदस्यों द्वारा 23-1 टन वर्मी–कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।
- केंचुआ की कीमत रु. 500-00 प्रति किग्रा
- दूसरे वर्षों के दौरान, बिक्री के लिए अधिशेष केंचुए होंगे (क्योंकि यह वर्मी–कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ जाएगा)
- वर्मी कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक प्ळ। है और इसलिए भ्ळ सदस्यों द्वारा इसे लिया गया है।

2. निधि ी आवश्य ता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का समर्थन 75%	SHG योगदान 25%
1	कुल पूंजी लागत	84000	63000	21000
2	कुल आवर्ती लागत	62230	0	62230
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	35000	35000	
	कुल =	181230	98000	83230

3. टप्पणी–

पूंजीगत लागत – 75% परियोजना के तहत कवर किया जाएगा
आवर्ती लागत - SHG/CIG द्वारा वहन किया जाना।
प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन – परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

4. निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• पूंजी लागत का **75%** गड्ढे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार **10ftX4ftX2ft** का होगा) • रु. 1 लाख का परिक्रामी निधि SHG बैंक खाते में (बैंक से ऋण लेने के मामले में बैंक ऋण लेने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए) या एक परिक्रामी निधि के रूप में रखा जाएगा। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित DMU/FCCU द्वारा गड्ढे/गड्ढे के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद की जाएगी।

SHG योगदान	• SHG द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत का 50%, इसमें शेड/शेड के निर्माण की लागत शामिल है। • SHG द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत	

5. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और ब्स् के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद CCL के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- CCL में, SHG के बकाया मूलधन का बैंकों को वर्ष में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- ऋण की अवधि में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।

6. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

- परियोजना उन्मुखीकरण समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- IGA। (सामान्य) का परिचय
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- स्वयं सहायता समूह का एक्सपोजर दौरा – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर
- निगरानी तंत्र
  - VFDS की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति IGA की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी

7. स्वयं सहायता समूह के नियम

1- समूह का काम : वर्मी–कम्पोस्टिंग ।

2- समूह का पता : ग्राम पिपलाह , तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

3- समूह के कुल सदस्य –7

4- समूह में हर ₹100 के ऋण पर ₹2 ः रूपये ब्याज होगा

5- समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी

6- समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे

7- स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पडेगा ।

8- सहायता समूह का खाता ग्रामीण बैंक टिक्करी ।

9- समूह की बैठक में गैर हाजिर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कारण बताकर अनुमति लेनी होगी ।

10-समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवातें या तीन बैठकों तक समूह में गैर हाजिर रहते हैं, तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा।

11- समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाजिर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा। अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिलकर देना होगा।

12- स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्वसम्मति से चुने जाएंगे।

13-प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं। यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।

14- प्रधान सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।

15- अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है, अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो समूह को वापस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है, अन्यथा नहीं।

16- ऋण का उद्देश्य रकम की चुकौती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।

17- आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम ₹1000 की राशि होनी चाहिए।

18- बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।

19- ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।

20- अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशि समूह में बांटी जाएगी।

21- समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।

समूह के सदस्य तस्वीरें –

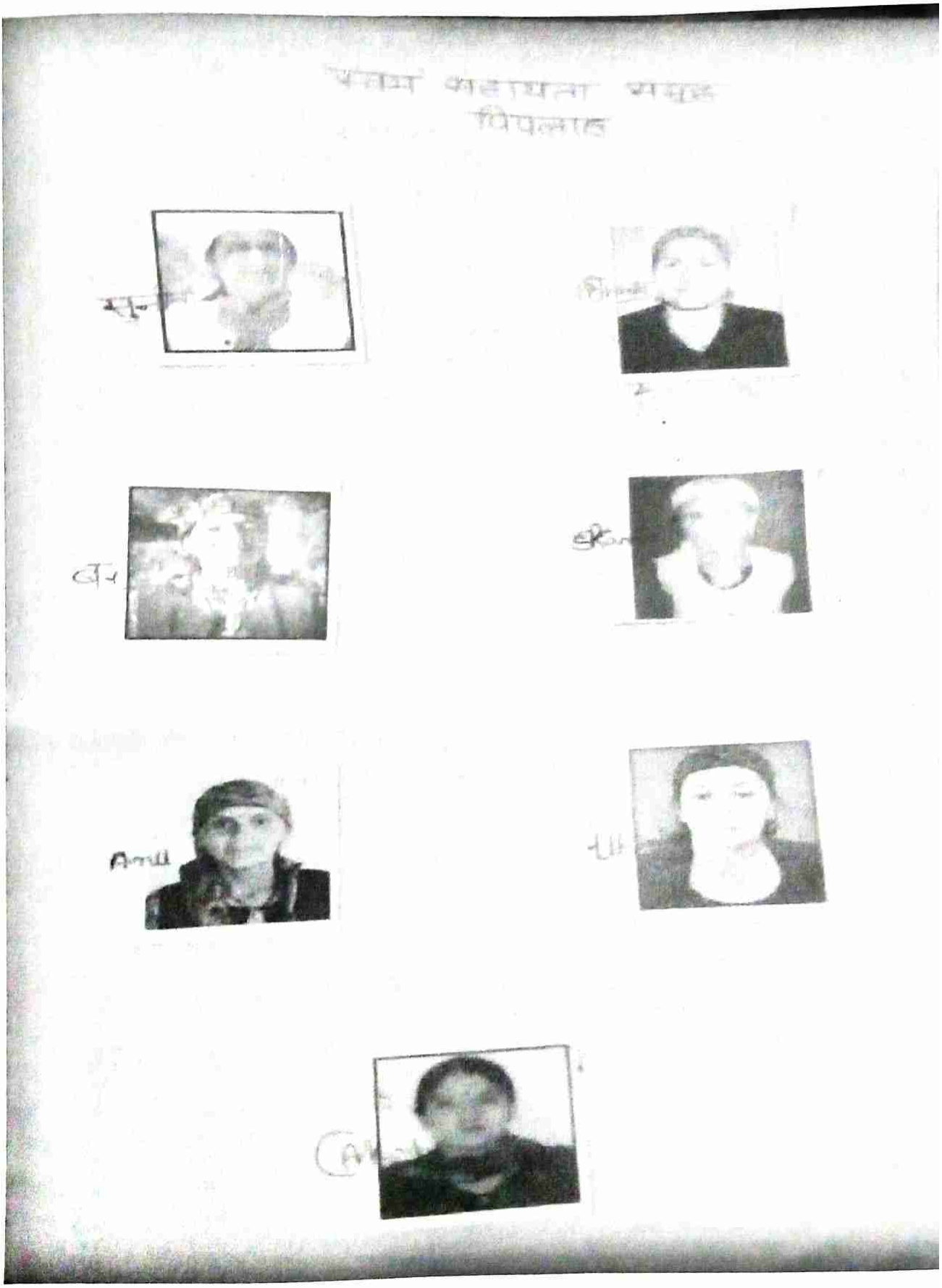

प्रमाण पत्र

वर्मी–कम्पोस्टिंग आय सृजन गतिविधि के लिए स्वयं सहायता समूह पिपलाह की व्यवसाय योजना ग्रामीण वन विकास समिति **VFDS** झंडुआ के सामान्य सदन के समक्ष वर्मी–कम्पोस्टिंग को अनुमोदन हेतु प्राप्त विभिन्न सदस्यों द्वारा लम्बी चर्चा और विचार विमर्श के बाद व्यवसाय योजना को स्वयं सहायता समूह में अपनाने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आगे कार्यान्वयन के ये अनुमोदित किया गया

दिनांक – 03–07–2022

स्थानरू– झंडुआ

प्रधान सुनीता
स्वयं सहायता समूह पिपलाह

प्रधान
वन विकास समिति
झंडुआ, तह0 नेरवा, जिला
शिमला, हि0 प्र0

31/5/23
Head
Tharoch

अध्यक्ष — स्वयं सहायता समूह

प्रधान — (ग्राम वन विकास समिति)

कोषाध्यक्ष — (ग्राम वन विकास समिति)

ऐफ० टी० यू० अधिकारी
Range Forest Officer
Tharoch Forest Range
Tharoch

अनुमोदित

डी० एम० यु० अधिकारी

वन मंडल चौपाल

स्वयं सहायता समूह पिपलाह

माहिना → जनवरी - 19-1-2023
सन → 2023

आज दिनांक 19-1-2023 को ग्राम पिपलाह की महिलाओं की एक विशेष बैठक का आयोजन कान्ता सिंह वार्ड की सदस्य पिपलाह की अध्यक्षता मे किया गया है। बैठक में निम्नलिखित महिलाओं ने भाग लिया।

क्र० स०	महिला का नाम	पिता / पति का नाम	हस्ताक्षर
1	बबीता	विरम कान्ता	
2	सुनिता	सोहन सिंह	
3	अनु शर्मा	राजाराम शर्मा	
4	अमन	लोकिन्द्र कान्ता	
5	संतोषी	केवल राम कान्ता	
6	बरदा	गुलाब सिंह	
7	उमा	राम प्रकाश कान्ता	

	महिला का नाम		आधार संख्या
	बबीता	-	612546893584
	सुनिता	-	890149659402
	अनु शर्मा	-	638649906671
संतोषी	[illegible]	-	985633940516
अमन	संतोषी	-	299074898731
	बरदा	-	790917758390
	उमा	-	888224359759

विभाग/ कार्यालय विकास खण्ड चौपाल।

स्वयं सहायता समूह पंजीकरण प्रपत्र

संख्या चौपाल (पंजीकरण)....26/2023...

प्रमाणित किया जाता है कि गाँव ...पिपलाड़.....स्वयं सहायता समूह का नाम ...पिपलाड़........ ग्राम पंचायत ...चईजन............ डाकघर ...ड्डा.................... तहसील ...नेरुवा.............. जिला ...शिमला हि०प्र०.... हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत बनाया गया स्वयं सहायता समूह आज दिनांक .... को विकास खण्ड चौपाल में पंजीकृत किया गया है तथा मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा चौपाल में जारी किया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड चौपाल

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड चौपाल।